रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275060
CG-DL-E-01082026-275060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4002] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2026/श्रावण 6, 1948
No. 4002] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2026/SHRAVAN 6, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

का.आ. 4172(अ).— केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाली जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, वह उसे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इस मंत्रालय के ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारुप अधिसूचना

जबकि, बांडली वन्यजीव अभयारण्य 32.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले की सुंदरनगर तहसील में स्थित है;

और जबकि बांडली वन्यजीव अभयारण्य में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के वन और निचले पश्चिमी हिमालयी समशीतोष्ण वन-बांज ओक वन और खुले घास के मैदान सम्मिलित हैं। बांडली वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं - आंवला (*फाइलेंथस एम्बलिका*), खैर (*बबूल कैटेचु*), अमलतास (*कैसिया फिस्टुला*), बहेरा (*टर्मिनलिया बेलेरिका*), शीशम (*डालबर्गिया सिस्सू*), जामुन (*साइजियम क्यूमिनी*), बांज ओक (*क्वेरकस ल्यूकोट्रिचोफोरा*), भारतीय तेज पत्ता (*सिनामोमम तमाला*), *फिकस बेंघालेंसिस, फ्लैकोरिटा रामोंत्ची, गिरार्डियाना हेट्रेफिला, ग्रेविया ऑपोजिटिफलिया, हेड्रा हेलिक्स, हाइपरिकम सेर्नम, जेट्रोफा क्यूकस, इंडिगोफेरा एसपीपी, जैस्मीनम प्यूब्सेंस, कास्मीनम ह्यूमिले, लेनिया ग्रैंडिस, लित्सिया एसपीपी, मैलोटस फिलीपिनेसिस, मैंगीफेरा इंडिका, पिनस रॉक्सबर्गी, डोडोनाया विस्कोस, मुर्रेया एसपीपी, यूफोरबिया रोयलीन, बाउहिनिया वाहली, पुएरिया ट्यूबर्रोस* आदि;

और जबकि क्षेत्र में पाई जाने वाली एविफुना सहित महत्वपूर्ण जीव-जंतु प्रजातियों में *पैंथेरा पार्डस, फेलिस बेंगालेंसिस, फेलिस चाउस, नेमोरहेडस गोरल, पैगुमा लार्वाटा, मार्टेस फ्लेविगुला, सेलेनार्कटोस थिबेटानस, पेटौरिस्टा पेटौरिस्टा, मकाका मुलट्टा, प्रेस्बिटिस एंटेलस, मुंटियाकस मंटजैक, लेपस नाइग्रीकोलिस, हिस्ट्रिक्स इंडिका, सस स्क्रोफा, फ्रांकोलिनस फ्रांकोलिनस, गैलस गैलस, लोफुरा ल्यूकोमेलानोस, जिप्स हिमालयेंसिस, एक्सीपिटर बैडियस, कैटरियस वालिची, पिकस कैनस, डिक्रूरस मैक्रोसेर्कस, यूरोसिसा एरिथ्रोरिंचा, डिक्रूरस मैक्रोसेर्कस, टरडोइड्स स्ट्रेटा* आदि; सम्मिलित हैं।

और जबकि बांडली वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से ,पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में बांडली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास 1 से 2.1 किलोमीटर के क्षेत्र को बांडली वन्यजीव वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके बाद पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1.पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं- (1) 28.1872 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बांडली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 1 से 2.1 किलोमीटर के बीच तक होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

उत्तर	2.1 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1 किलोमीटर
पूर्व	1.3 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1.1 किलोमीटर
दक्षिण	1.6 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1 किलोमीटर
पश्चिम	1.3 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1 किलोमीटर

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, सीमा विवरण सहित, **अनुलग्नक-IIक** और **अनुलग्नक-IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) संरक्षित क्षेत्रों और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भौगोलिक निर्देशांक **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले 62 गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

(6) बांडली वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तृत क्षेत्र विवरण **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना.–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) इस आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा ,ताकि इस योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बंधी दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके-:

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. शहरी विकास;

iv. ग्रामीण विकास;

v. पर्यटन;

vi. राजस्व;

vii. कृषि;

viii. पशुपालन;

ix. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

x. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

xi. नगरपालिका और पंचायती राज;

xii. लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, वनों की कटाई से प्रभावित क्षेत्रों के पुर्नस्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपाबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि निगरानी समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के गैर कृषि उपयोग के रुपान्तरण को स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है, जैसे,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख)अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/नालों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल ग्रहण प्रबंधन योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि इस क्षेत्रो और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाएगा ,जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन से सबंधित पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी नए होटल या रिजॉर्ट के निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. की दूरी के बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिज़ॉर्टस् की स्थापना की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार केवल पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व –परिभाषित और नामित क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि निगरानी समिति की वास्तविक स्थल विशिष्ट वास्तविक संवीक्षा और संस्तुति पर आधारित होगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) नैसर्गिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों अथवा आस –पास के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का अनुपालन पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के अधीन तथा समय समय पर यथा संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएंगा।

(7) वायु प्रदूषण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण का अनुपालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उनमें संशोधन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सरण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण समय समय पर यथा संशोधित, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 08 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन(ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट. - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित; अधिसूचना संख्या सा.का.नि.340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(13) **ई–अपशिष्ट -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित; ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण. –** वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**.- (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तक या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

(ख) जिन विद्यमान ढलानों या खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची .-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन निर्मित नियमों तथा पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2006 को संख्या 1533(अ) के अधीन पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से संबंधित भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों तथा समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों के उपबंधों द्वारा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट तरीके से लागू होगें ; अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं .	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क . प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पिसाई इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा, सभी नए और मौजूदा (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर खनन और पेराई इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों को प्रदूषण रोकथाम तकनीक और ध्वनि अवरोधक लगाने होंगे।
(3)	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध ।

(6)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(7)	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध ।
(8)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(9)	होटलों और रिज़ॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए होटलों, रिसोर्टों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्थापना की अनुमति नहीं होगी: बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
(10)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी: बशर्ते यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(11)	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी 2016, में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार और अपरिसंकटमय, लघु पैमाने के और सेवा उद्योग, उद्यान कृषि या पुष्प कृषि या कृषि पारिस्थितिकी संवेदी जोन की देशज सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(13)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(14)	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाए)।

(15)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय किये जाएगे।
(16)	मौजूदा सड़कों का चौडा और पक्का करना तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन शमन उपाय किए जाएंगे।
(17)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे वायुयान, हॉट एयर बैलून, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(18)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(19)	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
(20)	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, अनुपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों के निर्वहन को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(22)	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
(23)	कृषि या अन्य उपयोग के खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
(24)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
(25)	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(26)	पारिस्थितिकी-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(27)	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(28)	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(29)	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(30)	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
(31)	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(32)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(33)	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(34)	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(35)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय संवर्धन किया जाएगा ।
(36)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(37)	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(38)	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(39)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(40)	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की पुनर्बहाली।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(41)	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

5. निगरानी समिति - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपाबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक निगरानी समिति का गठन करती है; अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति के घटक	पदनाम
1.	मुख्य वन संरक्षक, मंडी	अध्यक्ष, *पदेन*;
2.	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
3.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विशेषज्ञ, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
4.	वरिष्ठ क्षेत्रीय नगर योजनाकार	सदस्य, *पदेन*;
5.	पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि, हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य, *पदेन*;
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
7.	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
8.	मंडल वन अधिकारी, सुकेत	सदस्य, *पदेन*;
9.	मंडल वन अधिकारी, वन्य जीव कुल्लू	सदस्य सचिव, *पदेन*;

6. निगरानी समिति के कार्य:-

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, किन्तु पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, तथा जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित की गई हों, की संवीक्षा करेगी।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा की अनुसूची में उल्लिखित न होने वाली तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली गतिविधियों का इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकरस्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(4) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति इस अधिसूचना के **अनुलग्नक-VI** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश आदि - इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/123/2015-ईएसजेड]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक I

बांडली वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	बांडली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा उत्तर-पश्चिम में भंवर गांव (उत्तर 31º29'11.588" पूर्व 076º53'32.743") की बाहरी परिधि से शुरू होती है, यह मार्ग उत्तर में डीपीएफ मालोह और मालोह गांव (उत्तर 31º28'57.273" पूर्व 076º54'27.303") की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व में डीपीएफ बेहली बदर्न (उत्तर 31º29'03.230" पूर्व 076º55'14.835") तक जाता है।
उत्तर –पूर्व	यह सीमा भू-निर्देशांक (उत्तर 31º28'40.527" पूर्व 076º56'7.191") से (उत्तर 31º27'57.888" पूर्व 076º56'29.026") से होकर गुजरती है।
पूर्व	पूर्वी सीमा उत्तर-पूर्व में स्थित डोलधर (उत्तर 31º28'40.527" पूर्व 076º56'07.191") और बधेतार गांव (उत्तर 31º27'57.888" पूर्व 076º56'29.026") की बाहरी परिधि से शुरू होती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पूर्व में नवल गांव (उत्तर 31º27'11.351" पूर्व 076º56'41.260") की बाहरी परिधि से लेकर दक्षिण-पूर्व में बकालाग गांव (उत्तर 31º26'01.251" पूर्व 076º57'13.938") की बाहरी परिधि तक फैली हुई है।
दक्षिण- पूर्व	यह सीमा भौगोलिक निर्देशांक (उत्तर 31º25'12.042" पूर्व 076º57'4.510") से (उत्तर 31º24'47.983" पूर्व 076º56'18.561") तक फैली हुई है।
दक्षिण	दक्षिणी सीमा दक्षिण-पूर्व में धर गांव (उत्तर 31º25'12.042" पूर्व 076º57'04.510") की बाहरी परिधि से शुरू होती है और डीपीएफ जराल (उत्तर 31º24'46.540" पूर्व 076º55'09.400"), देहरा गांव (उत्तर 31º24'55.095" पूर्व 076º54'57.972") और मथनाली टिब्बा (उत्तर 31º25'13.417" पूर्व 076º54'37.478") दक्षिण में यह कंपार्टमेंट सी -4 डीपीएफ धवल (उत्तर 31º24'54.123" पूर्व 076º53'16.561") और सी-5 डीपीएफ धवल (उत्तर 31º24'53.403" पूर्व 076º53'40.895") की दक्षिणी सीमा तक जाती है, दक्षिण-पश्चिम की ओर, यह बारी गांव (उत्तर 31º24'54.642" पूर्व 076º53'05.331") और धवल गांव (उत्तर 31º24'59.217" पूर्व 076º52'51.850") की बाहरी परिधि के साथ-साथ चलती है।
दक्षिण – पश्चिम	यह सीमा भौगोलिक निर्देशांक (उत्तर 31º25'15.248" पूर्व 076º52'26.112") से (उत्तर 31º26'6.018" पूर्व 076º52'19.938") तक जाती है।
पश्चिम	पश्चिमी सीमा दक्षिण-पश्चिम में सालपार कॉलोनी (उत्तर 31º25'09.942" पूर्व 076º52'31.229") से शुरू होती है, जिसे पश्चिम में जारोल खड्ड और एनएच-21 (उत्तर 31º26'47.533" पूर्व 076º51'43.361") द्वारा आगे सीमांकित किया गया है, और उत्तर-पश्चिम में चाहरी गांव (उत्तर 31º27'31.128" पूर्व 076º51'40.436") और डीपीएफ बैला बलहार (उत्तर 31º28'40.029" पूर्व 076º52'26.487") तक फैली हुई है।
उत्तर पश्चिम	यह सीमा भौगोलिक निर्देशांक (उत्तर 31º28'3.141" पूर्व 076º52'5.963") से (उत्तर 31º29'4.591" पूर्व 076º53'3.747") तक जाती है।

अनुलग्नक IIक

बांडली वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र

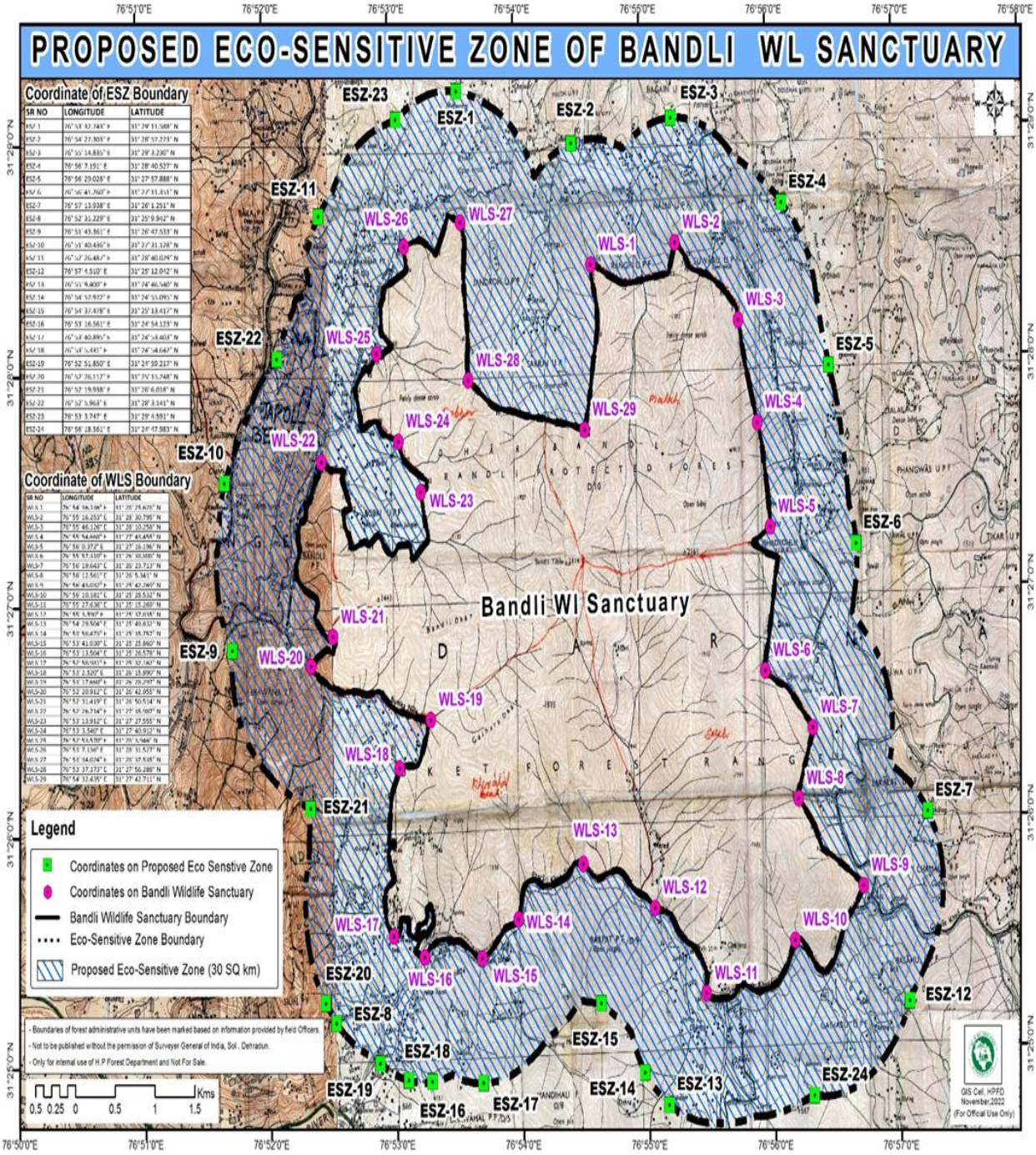

अनुलग्नक II ख

बांडली वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग और भूमि आवरण मानचित्र

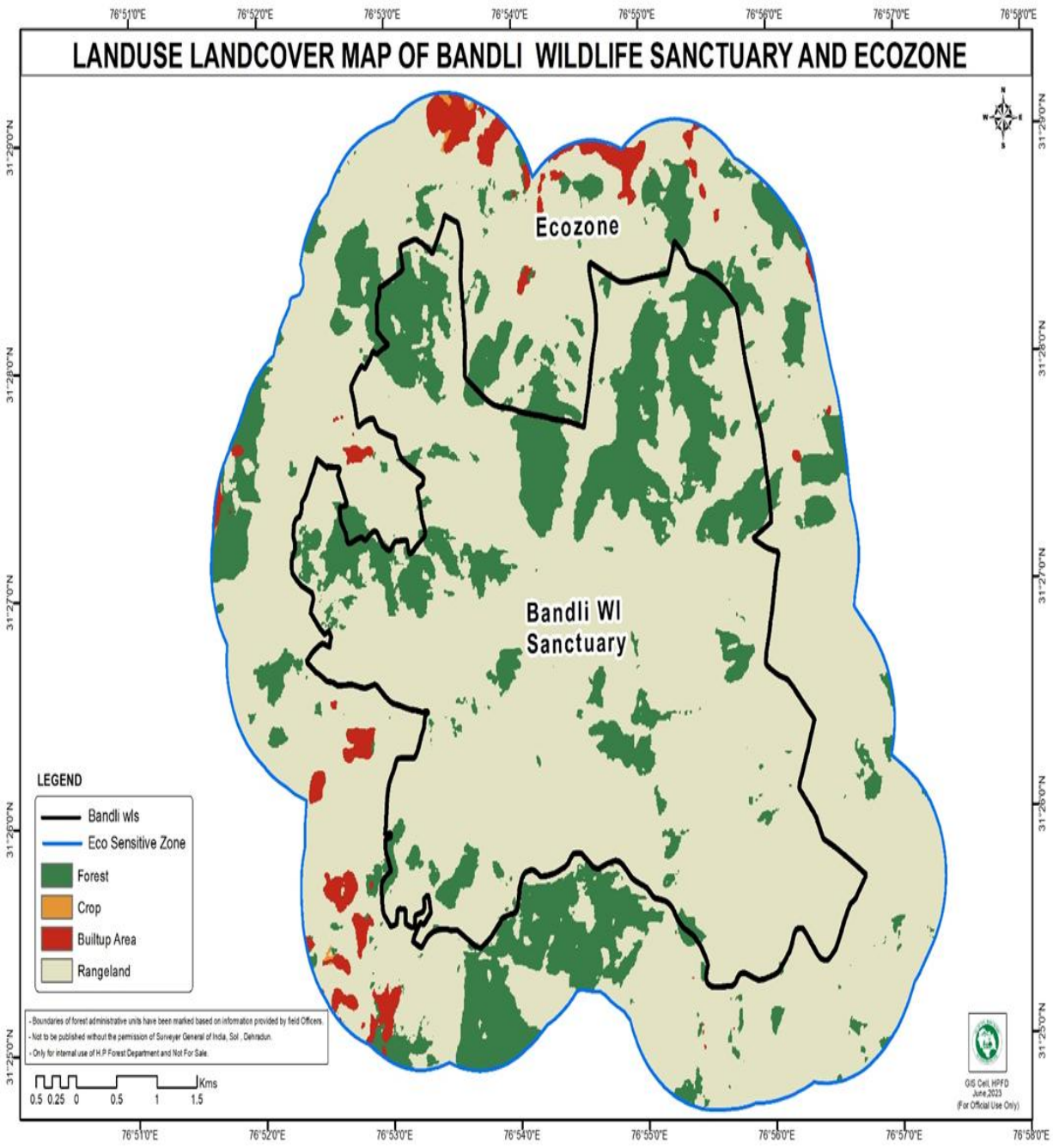

अनुलग्नक- III

सारणी क : बांडली वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
डब्लूएलएस-1	76° 54' 36.136" पू	31° 28' 25.628" उ
डब्लूएलएस-2	76° 55' 16.253" पू	31° 28' 30.795" उ
डब्लूएलएस-3	76° 55' 46.126" पू	31° 28' 10.258" उ
डब्लूएलएस-4	76° 55' 54.668" पू	31° 27' 43.455" उ
डब्लूएलएस-5	76° 56' 0.372" पू	31° 27' 16.196" उ
डब्लूएलएस-6	76° 55' 57.310" पू	31° 26' 38.808" उ
डब्लूएलएस-7	76° 56' 19.643" पू	31° 26' 23.713" उ
डब्लूएलएस-8	76° 56' 12.561" पू	31° 26' 5.341" उ
डब्लूएलएस-9	76° 56' 43.032" पू	31° 25' 42.269" उ
डब्लूएलएस-10	76° 56' 10.181" पू	31° 25' 28.532" उ
डब्लूएलएस-11	76° 55' 27.636" पू	31° 25' 15.269" उ
डब्लूएलएस-12	76° 55' 3.590" पू	31° 25' 37.835" उ
डब्लूएलएस-13	76° 54' 29.504" पू	31° 25' 49.832" उ
डब्लूएलएस-14	76° 53' 58.473" पू	31° 25' 35.757" उ
डब्लूएलएस-15	76° 53' 41.030" पू	31° 25' 25.860" उ
डब्लूएलएस-16	76° 53' 13.504" पू	31° 25' 26.578" उ
डब्लूएलएस-17	76° 52' 58.981" पू	31° 25' 32.162" उ
डब्लूएलएस-18	76° 53' 2.520" पू	31° 26' 15.890" उ
डब्लूएलएस-19	76° 53' 17.660" पू	31° 26' 28.297" उ
डब्लूएलएस-20	76° 52' 20.912" पू	31° 26' 42.955" उ
डब्लूएलएस-21	76° 52' 31.419" पू	31° 26' 50.514" उ
डब्लूएलएस-22	76° 52' 26.714" पू	31° 27' 35.987" उ
डब्लूएलएस-23	76° 53' 13.912" पू	31° 27' 27.555" उ
डब्लूएलएस-24	76° 53' 3.540" पू	31° 27' 40.912" उ
डब्लूएलएस-25	76° 52' 53.570" पू	31° 28' 3.946" उ
डब्लूएलएस-26	76° 53' 7.136" पू	31° 28' 31.527" उ
डब्लूएलएस-27	76° 53' 34.024" पू	31° 28' 37.535" उ
डब्लूएलएस-28	76° 53' 37.173" पू	31° 27' 56.288" उ
डब्लूएलएस-29	76° 54' 32.435" पू	31° 27' 42.711" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

जीपीएस बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
ईएसज़ेड-1	76° 53' 32.743" पू	31° 29' 11.588" उ
ईएसज़ेड-2	76° 54' 27.303" पू	31° 28' 57.273" उ
ईएसज़ेड-3	76° 55' 14.835" पू	31° 29' 3.230" उ
ईएसज़ेड-4	76° 56' 7.191" पू	31° 28' 40.527" उ
ईएसज़ेड-5	76° 56' 29.026" पू	31° 27' 57.888" उ
ईएसज़ेड-6	76° 56' 41.260" पू	31° 27' 11.351" उ
ईएसज़ेड-7	76° 57' 13.938" पू	31° 26' 1.251" उ
ईएसज़ेड-8	76° 52' 31.229" पू	31° 25' 9.942" उ
ईएसज़ेड-9	76° 51' 43.361" पू	31° 26' 47.533" उ
ईएसज़ेड-10	76° 51' 40.436" पू	31° 27' 31.128" उ
ईएसज़ेड-11	76° 52' 26.487" पू	31° 28' 40.029" उ
ईएसज़ेड-12	76° 57' 4.510" पू	31° 25' 12.042" उ
ईएसज़ेड-13	76° 55' 9.400" पू	31° 24' 46.540" उ
ईएसज़ेड-14	76° 54' 57.972" पू	31° 24' 55.095" उ
ईएसज़ेड-15	76° 54' 37.478" पू	31° 25' 13.417" उ
ईएसज़ेड-16	76° 53' 16.561" पू	31° 24' 54.123" उ
ईएसज़ेड-17	76° 53' 40.895" पू	31° 24' 53.403" उ
ईएसज़ेड-18	76° 53' 5.331" पू	31° 24' 54.642" उ
ईएसज़ेड-19	76° 52' 51.850" पू	31° 24' 59.217" उ
ईएसज़ेड-20	76° 52' 26.112" पू	31° 25' 15.248" उ
ईएसज़ेड-21	76° 52' 19.938" पू	31° 26' 6.018" उ
ईएसज़ेड-22	76° 52' 5.963" पू	31° 28' 3.141" उ
ईएसज़ेड-23	76° 53' 3.747" पू	31° 29' 4.591" उ
ईएसज़ेड-24	76° 56' 18.561" पू	31° 24' 47.983" उ

अनुलग्नक-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची और उनके भौगोलिक निर्देशांक

क्र.स	क्षेत्र	ताल	गाँव	डीएमएस में अक्षांश (उत्तर)	डीएमएस में देशांतर (पूर्व)
1	कांगू	सेरीकोठी	धरली और बराड	31 25 08.14	76 56 46.81
2			बखराली	31 25 14.42	76 56 53.02
3			बाह	31 25 18.38	76 56 39.10
4		धवल	शाऊल	31 25 53.54	76 55 40.33
5			बारपत	31 25 15.08	76 55 08.95
6			चालल्ला	31 24 57.45	76 53 26.52
7			रोपड़ी	31 25 27.49	76 53 12.71
8		बटवारा	जराल	31 25 03.08	76 55 25.99
9		गेहरू	कांडलू	31 24 53.84	76 56 24.24
10			कांगड़ी	31 25 06.55	76 55 40.54
11			चिराल	31 24 53.49	76 55 59.07
12		देहर	खुराहल	31 25 33.99	76 52 44.62
13			स्यूण	31 25 23.24	76 52 34.53
14			खैरी	31 25 31.43	76 52 52.42
15			कंदार	31 26 53.41	76 52 41.38
16			ताली	31 26 28.38	76 51 56.63
17			सरौनी	31 26 49.91	76 52 02.73
18			अपर भुवाणा	31 26 50.67	76 51 38.64
19	जय देवी	डोलधर	नवल धार	31.452036	76.945591
20			परुआ	31.457341	76.943268
21			फ़्लूर	31.43412	76.955273
22			टैंडी	31.448041	76.942656
23			नेहारी	31.445939	76.944211
24			हेमुन	31.448594	76.950147
25			बधू	31.451898	76.949048
26			बधेतर	31.468544	76.950001
27			चचला	31.465266	76.950751
28			बहली	31.459526	76.936162
29			धारा	31.456971	76.942742

30			बनाड़ी	31.460121	76.937316
31			सबधु	31.4407	76.941465
32		कमंद	बसहु	31.42649	76.949792
33			पीपलू	31.43362	76.946398
34	सुकेत	नालनी	मलोह	31⁰28’58.86” उ	76⁰54’25.59”पू
35			रंघ	31⁰28’54.09” उ	76⁰54’52.01”पू
36			लाग	31⁰28’45.92” उ	76⁰54’52.86”पू
37			सारियूं	31⁰28’17.99” उ	76⁰54’03.47”पू
38			धारंडा	31⁰28’41.04” उ	76⁰54’13.56”पू
39			ऋद्धि	31⁰28’46.69” उ	76⁰54’06.85”पू
40			त्रयमता	31⁰28’53.34” उ	76⁰54’58.60”पू
41			नलनी	31⁰28’52.30” उ	76⁰55’24.94”पू
42			तेली	31⁰28’37.10” उ	76⁰55’36.08”पू
43			स्वर	31⁰28’65.19” उ	76⁰56’3.00”पू
44			ठंडापानी	31⁰27’34.10” उ	76⁰56’11.41”पू
45			भद्रोलु	31⁰27’18.49” उ	76⁰56’14.93”पू
46			कांड	31⁰27’12.19” उ	76⁰56’15.53”पू
47			बधू	31⁰26’50.33” उ	76⁰56’02.86”पू
48			खरनी	31⁰26’21.40” उ	76⁰56’30.60”पू
49			बसहु	31⁰25’41.47” उ	76⁰56’43.22”पू
50			पत्योदा	31⁰28’45.07” उ	76⁰53’52.68”पू
51			चालौनी	31⁰29’06.71” उ	76⁰53’59.80”पू
52			जंद्रोह	31⁰28’55.06” उ	76⁰53’46.96”पू
53		जरोल	फगला धार	31⁰28’37.72” उ	76⁰53’43.43”पू
54			बोबर	31⁰27’39.61” उ	76⁰53’43.49”पू
55			सरौनी धार	31⁰27’10.46” उ	76⁰51’54.28”पू
56			निहारी	31⁰27’23.46” उ	76⁰52’41.01”पू
57			डोलाग	31⁰27’34.13” उ	76⁰52’30.73”पू
58			सरौनी	31⁰26’57.92” उ	76⁰52’08.34”पू
59			थारू	31⁰27’07.95” उ	76⁰51’47.21”पू
60			जरोल	31⁰27’43.02” उ	76⁰51’43.00”पू
61			रोपड़ी	31⁰27’39.29” उ	76⁰51’49.26”पू
62			घांगल	31⁰27’49.42” उ	76⁰51’53.62”पू

अनुलग्नक - V

बांडली वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तृत विवरण

भूमि की श्रेणी	**पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
सीमांकित संरक्षित वन (डीपीएफ)	1018.5
असीमांकित संरक्षित वन (यूपीएफ)	40
निजी भूमि	834.54
अन्य सरकारी भूमि	925.68
पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल	**2818.72**

अनुलग्नक –VI

की गई कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप:-

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुलग्नक में संलग्न हैं:
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति;
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश: विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए:
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश, विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए:
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नही की गई क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए:
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश:
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2026

S.O. 4172(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi- 110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Bandli Wildlife Sanctuary is spread over an area of 32.11 square kilometre and is situated in Sundernagar Tehsil of District Mandi in the State of Himachal Pradesh;

AND WHEREAS the Bandli Wildlife Sanctuary consists of Northern dry mixed deciduous forests, Himalayan subtropical chir pine forests and lower west Himalayan temperate forest-Banj oak forest, open

grassland and phoenix patches. The major vegetation found in and around Bandli Wildlife Sanctuary are Amla (*Phyllanthus emblica*), Khair (*Acacia catechu*), Amaltas (*Cassia fistula*), Bahera (*Terminalia bellerica*), Shisham (*Dalbergia sissoo*), Jamun (*Syzygium cumini*), Banj oak (*Quercus leucotrichophora*), Indian bay leaf (*Cinnamomum tamala*), *Ficus benghalensis, Flacourita ramontchi, Girardiana hetrephylla, Grewia oppositiflia, Hedra helix, Hypericum cernum, Jatropha cucus, Indigophera spp, Jasminum pubescence, Kasminum humile, Lennea grandis, Litsea spp, Mallotus phillipinenesis, Mangifera indica, Pinus roxburghii, Dodonaea viscose*, *Murraya* spp., *Euphorbia roylean, Bauhinia vahlii, Pueraria tuberose* etc.;

AND WHEREAS the important faunal species including avifauna found in the area comprises of *Panthera pardus, Felis bengalensis, Felis chaus, Nemorhaedus goral, Paguma larvata, Martes flavigula, Selenarctos thibetanus, Petaurista petaurista, Macaca mulatta, Presbytis entellus, Muntiacus muntjak, Lepus nigricollis, Hystrix indica, Sus scrofa, Francolinus francolinus, Gallus gallus, Lophura leucomelanos, Gyps himalayensis, Accipiter badius, Catreus wallichii, Picus canus, Dicrurus macrocercus, Urocissa erythroryncha, Dicrurus macrocercus, Turdoides striata* etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the Bandli Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 1 to 2.1 kilometre around the boundary of Bandli Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Bandli Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) the extent of Eco-Sensitive Zone shall vary from 1 to 2.1 kilometre around the boundary of Bandli Wildlife Sanctuary encompassing an area of 28.1872 square kilometre. The Eco-sensitive Zone extent is provided in table below:

North	2.1 kilometre
North- East	1 kilometre
East	1.3 kilometre
South-East	1.1 kilometre
South	1.6 kilometre
South-West	1 kilometre
West	1.3 kilometre
North-West	1 kilometre

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- I.

(3) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details is appended as Annexure-II A and Annexure- II B.

(4) The geo-coordinates of the protected areas and its Eco-sensitive Zone are appended as Annexure-III.

(5) The list of 62 villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.

(6) Detailed Area Statement of Eco-Sensitive Zone around Bandli Wildlife Sanctuary is appended as Annexure- V.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. —

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;
ii. Forest and Wildlife;
iii. Urban Development;
iv. Rural Development;
v. Tourism;
vi. Revenue;
vii. Agriculture;
viii. Animal Husbandry;
ix. Himachal Pradesh State Pollution Control Board;
x. Irrigation and Flood Control;
xi. Municipality and Panchayati Raj;
xii. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. — The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. —

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. Small scale industries not causing pollution;
iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
v. Promoted activities given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. — The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism. —

a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage. — All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. — Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amended from time to time.

(7) Air pollution.— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. — Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. — Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. — Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. — The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. — The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. — The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. — The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. — Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. —

a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016 as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. — The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone. —

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	Establishment of new and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial Use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer; Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated wastewater. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable law.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Air, vehicular and noise pollution.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee. — The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Chief Conservator of Forests, Mandi	Chairman, *ex-officio;*
2.	A representative of a non-governmental organization working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years	Member*;*
3.	An expert in the area of ecology and environment from a reputed University or Institution to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time every three years.	Member*;*
4.	Senior Town Planner of the area	Member, *ex-officio;*
5.	A representative from Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh	Member, *ex-officio;*
6.	A representative from Himachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, *ex-officio;*
7.	A representative from Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex-officio;*
8.	Divisional Forest Officer, Suket	Member, *ex-officio;*
9.	Divisional Forest Officer, WL Kullu	Member Secretary, *ex officio;*

6. Functions of Monitoring Committee. —

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-VI, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. — The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc. — The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. . 25/123/2015-ESZ-RE]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

ANNEXURE- I

Boundary Description of the Eco-sensitive zone around Bandli Wildlife Sanctuary

North	The Northern boundary of Bandli Wildlife Sanctuary Eco- Sensitive Zone starts from the outer periphery of Bhanwar village (N $31^0$29'11.588" E $076^0$53'32.743") in the North-West, traverses along the southern boundary of DPF Maloh & Maloh Village (N $31^0$28'57.273" E $076^0$54'27.303") in the North upto DPF Behli Badern (N $31^0$29'03.230" E $076^0$55'14.835") in the North-East.
North- East	This boundary follows through the geo-coordinate (N $31^0$28'40.527" E $076^0$56'7.191") to (N$31^0$27'57.888" E $076^0$56'29.026")
East	The Eastern boundary starts from the outer periphery of Doldhar (N $31^0$28'40.527" E $076^0$56'07.191") and Badhetar Village (N $31^0$27'57.888" E $076^0$56'29.026") in the North-East. The ESZ boundary traverses along the outer periphery of Nawal Village (N $31^0$27'11.351" E $076^0$56'41.260") in the East upto the outer periphery of Bakalag Village (N $31^0$26'01.251" E $076^0$57'13.938") in the South-East.
South-East	This boundary follows through Geo coordinate (N $31^0$25'12.042" E $076^0$57'4.510") to (N $31^0$24'47.983" E $076^0$56'18.561")
South	The Southern boundary extends from the outer periphery of Dhar Village (N $31^0$25'12.042" E $076^0$57'04.510") in the South-East, traverses along the outer periphery of DPF Jaral (N $31^0$24'46.540" E $076^0$55'09.400"), Dehra village (N $31^0$24'55.095" E $076^0$54'57.972"), Mathnali Tibba (N $31^0$25'13.417" E $076^0$54'37.478") in the South upto the southern boundary of Compartment C-4 DPF Dhawal (N $31^0$24'54.123" E $076^0$53'16.561") & C-5 of DPF Dhawal (N $31^0$24'53.403" E $076^0$53'40.895"). Towards South-West, it traverses along the outer periphery of Bari Village (N $31^0$24'54.642" E $076^0$53'05.331") and Dhawal Village (N $31^0$24'59.217" E $076^0$52'51.850").
South-West	This boundary follows through the geo-coordinate (N $31^0$25'15.248" E $076^0$52'26.112") to (N$31^0$26'6.018" E $076^0$52'19.938")
West	The Western boundary extends from Salapar Colony (N $31^0$25'09.942" E $076^0$52'31.229") in the South-West which is further delineated by Jarol Khadd and NH-21 (N $31^0$26'47.533" E $076^0$51'43.361") in the West upto Chahri Village (N $31^0$27'31.128" E $076^0$51'40.436") and DPF Baila Balahar (N $31^0$28'40.029" E $076^0$52'26.487") in the North-West.
North-West	This boundary follows through the geo-coordinate (N $31^0$28'3.141" E $076^0$52'5.963") to (N$31^0$29'4.591" E $076^0$53'3.747")

ANNEXURE-II A

Map showing Bandli Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

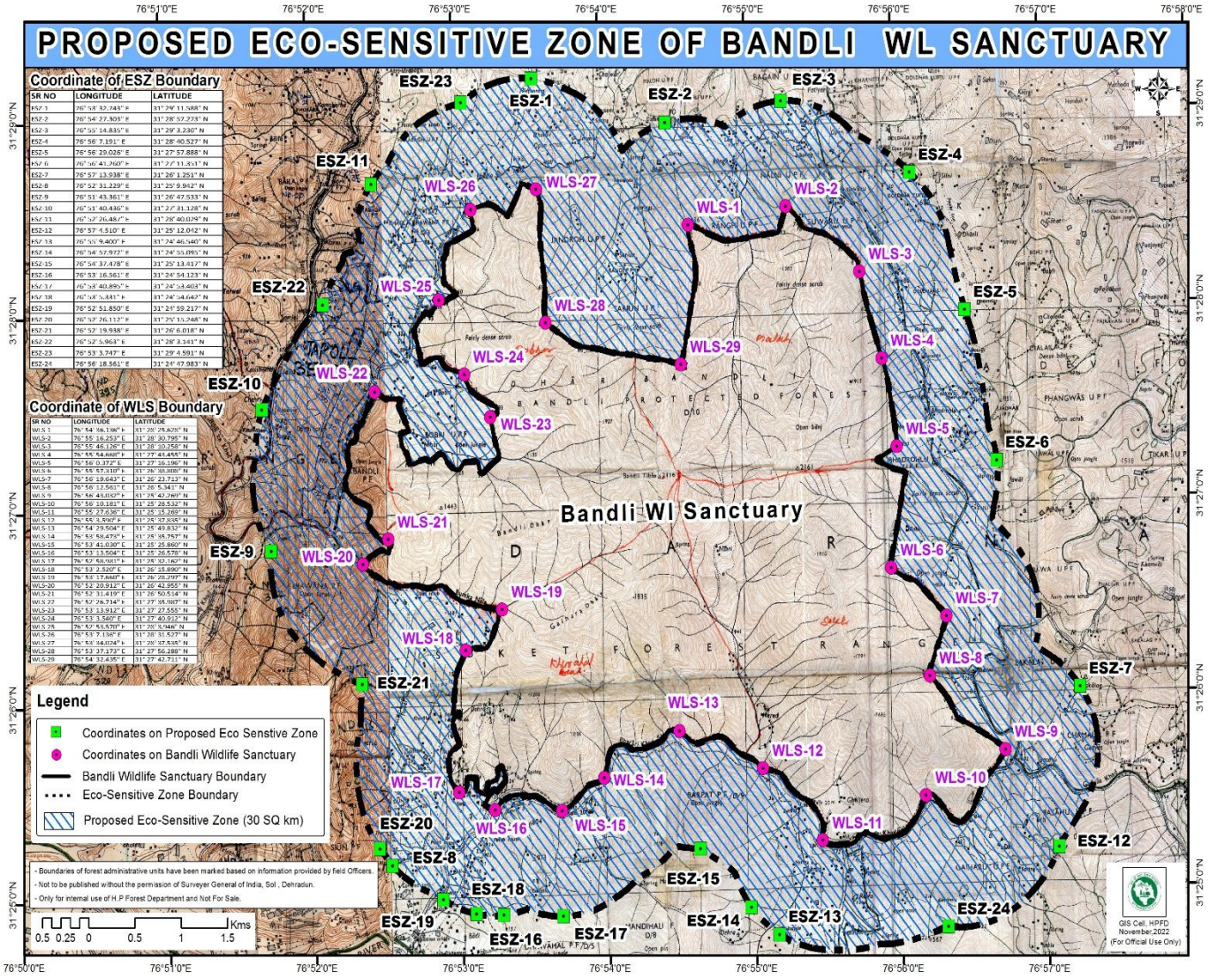

ANNEXURE-II B

Land Use Land Cover Map of Bandli Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

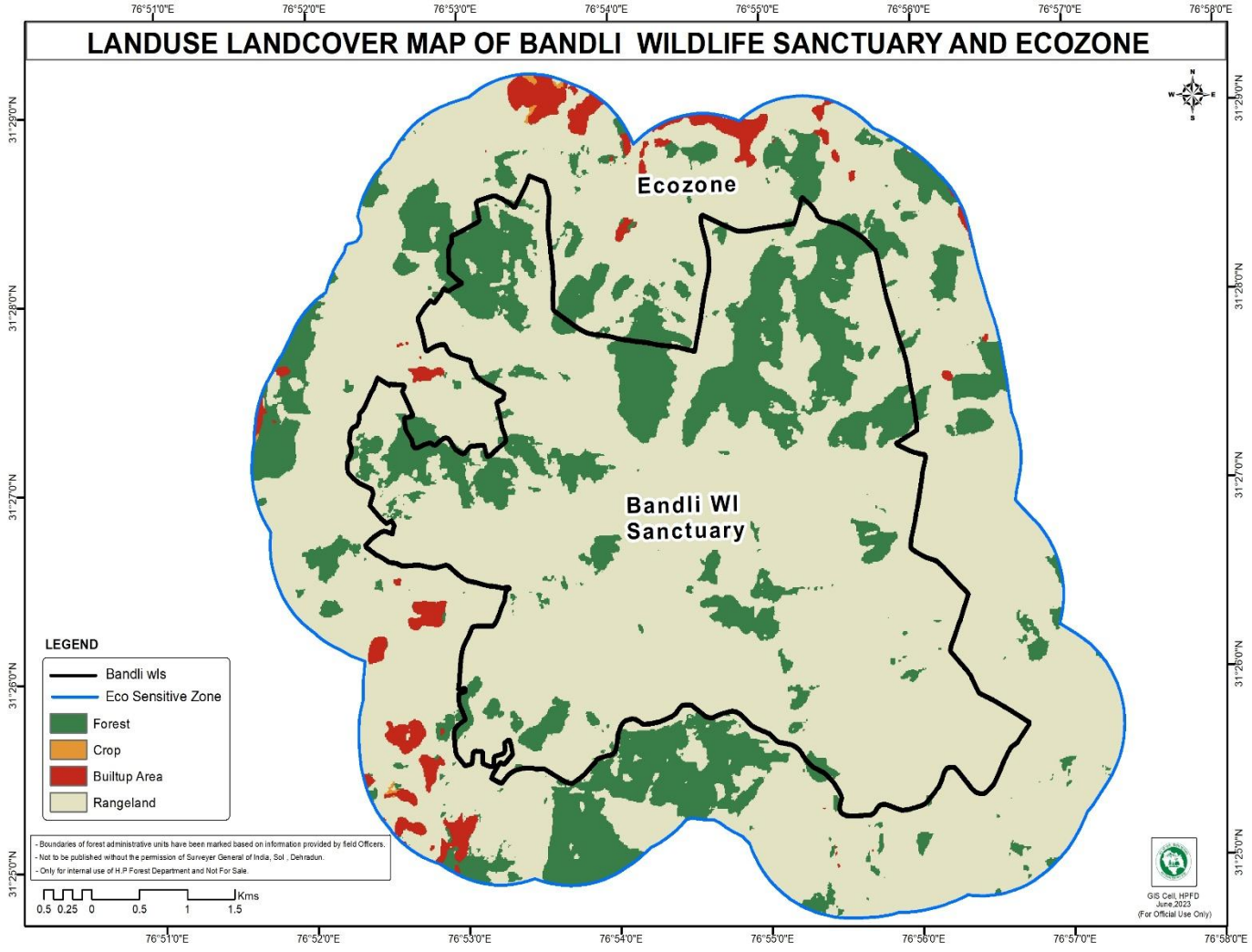

ANNEXURE- III

Table A: Geocoordinates of prominent locations of Bandli Wildlife Sanctuary

GPS Points	Longitude	Latitude
WLS-1	76° 54' 36.136" E	31° 28' 25.628" N
WLS-2	76° 55' 16.253" E	31° 28' 30.795" N
WLS-3	76° 55' 46.126" E	31° 28' 10.258" N
WLS-4	76° 55' 54.668" E	31° 27' 43.455" N
WLS-5	76° 56' 0.372" E	31° 27' 16.196" N
WLS-6	76° 55' 57.310" E	31° 26' 38.808" N
WLS-7	76° 56' 19.643" E	31° 26' 23.713" N
WLS-8	76° 56' 12.561" E	31° 26' 5.341" N
WLS-9	76° 56' 43.032" E	31° 25' 42.269" N
WLS-10	76° 56' 10.181" E	31° 25' 28.532" N
WLS-11	76° 55' 27.636" E	31° 25' 15.269" N
WLS-12	76° 55' 3.590" E	31° 25' 37.835" N
WLS-13	76° 54' 29.504" E	31° 25' 49.832" N
WLS-14	76° 53' 58.473" E	31° 25' 35.757" N
WLS-15	76° 53' 41.030" E	31° 25' 25.860" N
WLS-16	76° 53' 13.504" E	31° 25' 26.578" N
WLS-17	76° 52' 58.981" E	31° 25' 32.162" N
WLS-18	76° 53' 2.520" E	31° 26' 15.890" N
WLS-19	76° 53' 17.660" E	31° 26' 28.297" N
WLS-20	76° 52' 20.912" E	31° 26' 42.955" N
WLS-21	76° 52' 31.419" E	31° 26' 50.514" N
WLS-22	76° 52' 26.714" E	31° 27' 35.987" N
WLS-23	76° 53' 13.912" E	31° 27' 27.555" N
WLS-24	76° 53' 3.540" E	31° 27' 40.912" N
WLS-25	76° 52' 53.570" E	31° 28' 3.946" N
WLS-26	76° 53' 7.136" E	31° 28' 31.527" N
WLS-27	76° 53' 34.024" E	31° 28' 37.535" N
WLS-28	76° 53' 37.173" E	31° 27' 56.288" N
WLS-29	76° 54' 32.435" E	31° 27' 42.711" N

Table B: Geocoordinates of Eco-sensitive Zone prominent points

GPS Points	LONGITUDE	LATITUDE
ESZ-1	76° 53' 32.743" E	31° 29' 11.588" N
ESZ-2	76° 54' 27.303" E	31° 28' 57.273" N
ESZ-3	76° 55' 14.835" E	31° 29' 3.230" N
ESZ-4	76° 56' 7.191" E	31° 28' 40.527" N
ESZ-5	76° 56' 29.026" E	31° 27' 57.888" N
ESZ-6	76° 56' 41.260" E	31° 27' 11.351" N
ESZ-7	76° 57' 13.938" E	31° 26' 1.251" N
ESZ-8	76° 52' 31.229" E	31° 25' 9.942" N
ESZ-9	76° 51' 43.361" E	31° 26' 47.533" N
ESZ-10	76° 51' 40.436" E	31° 27' 31.128" N
ESZ-11	76° 52' 26.487" E	31° 28' 40.029" N
ESZ-12	76° 57' 4.510" E	31° 25' 12.042" N
ESZ-13	76° 55' 9.400" E	31° 24' 46.540" N
ESZ-14	76° 54' 57.972" E	31° 24' 55.095" N
ESZ-15	76° 54' 37.478" E	31° 25' 13.417" N
ESZ-16	76° 53' 16.561" E	31° 24' 54.123" N
ESZ-17	76° 53' 40.895" E	31° 24' 53.403" N
ESZ-18	76° 53' 5.331" E	31° 24' 54.642" N
ESZ-19	76° 52' 51.850" E	31° 24' 59.217" N
ESZ-20	76° 52' 26.112" E	31° 25' 15.248" N
ESZ-21	76° 52' 19.938" E	31° 26' 6.018" N
ESZ-22	76° 52' 5.963" E	31° 28' 3.141" N
ESZ-23	76° 53' 3.747" E	31° 29' 4.591" N
ESZ-24	76° 56' 18.561" E	31° 24' 47.983" N

ANNEXURE- IV

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with its geo-coordinates

Sr. No.	Range	Beat	Village	Latitude (N) in DMS	Longitude (E)in DMS
1	Kangoo	Serikothi	Dharli and Barad	31 25 08.14	76 56 46.81
2			Bakhrali	31 25 14.42	76 56 53.02
3			Bah	31 25 18.38	76 56 39.10
4		Dhawal	Saul	31 25 53.54	76 55 40.33
5			Barpat	31 25 15.08	76 55 08.95
6			Chalalla	31 24 57.45	76 53 26.52
7			Ropari	31 25 27.49	76 53 12.71
8		Batwara	Jaral	31 25 03.08	76 55 25.99
9		Gehru	Kandlu	31 24 53.84	76 56 24.24
10			Kangri	31 25 06.55	76 55 40.54
11			Chiral	31 24 53.49	76 55 59.07
12		Dehar	Khurahal	31 25 33.99	76 52 44.62
13			Siun	31 25 23.24	76 52 34.53
14			Khairi	31 25 31.43	76 52 52.42
15			Kandar	31 26 53.41	76 52 41.38
16			Tali	31 26 28.38	76 51 56.63
17			Sarouni	31 26 49.91	76 52 02.73
18			Upper Bhuwana	31 26 50.67	76 51 38.64
19	Jai Devi	Doldhar	Nawal Dhar	31.452036	76.945591
20			Parua	31.457341	76.943268
21			Fleur	31.43412	76.955273
22			Tandi	31.448041	76.942656
23			Nehari	31.445939	76.944211
24			Hemun	31.448594	76.950147
25			Badhu	31.451898	76.949048
26			Badhetar	31.468544	76.950001
27			Chachla	31.465266	76.950751
28			Bahli	31.459526	76.936162
29			Dhara	31.456971	76.942742
30			Banadi	31.460121	76.937316
31			Sabadhu	31.4407	76.941465
32		Kamand	Basahu	31.42649	76.949792
33			Piplu	31.43362	76.946398
34	Suket	Nalni	Maloh	$31^0$28’58.86” N	$76^0$54’25.59”E
35			Rangh	$31^0$28’54.09” N	$76^0$54’52.01”E
36			Laag	$31^0$28’45.92” N	$76^0$54’52.86”E
37			Sariun	$31^0$28’17.99” N	$76^0$54’03.47”E
38			Dharnda	$31^0$28’41.04” N	$76^0$54’13.56”E
39			Ridhi	$31^0$28’46.69” N	$76^0$54’06.85”E
40			Tryamta	$31^0$28’53.34” N	$76^0$54’58.60”E
41			Nalni	$31^0$28’52.30” N	$76^0$55’24.94”E
42			Teli	$31^0$28’37.10” N	$76^0$55’36.08”E
43			Swar	$31^0$28’65.19” N	$76^0$56’3.00”E
44			Thandapani	$31^0$27’34.10” N	$76^0$56’11.41”E
45			Bhadrolu	$31^0$27’18.49” N	$76^0$56’14.93”E
46			Kanda	$31^0$27’12.19” N	$76^0$56’15.53”E

47			Badhu	31^{0}26’50.33” N	76^{0}56’02.86”E
48			Kharni	31^{0}26’21.40” N	76^{0}56’30.60”E
49			Basahu	31^{0}25’41.47” N	76^{0}56’43.22”E
50			Patyoda	31^{0}28’45.07” N	76^{0}53’52.68”E
51			Chalouni	31^{0}29’06.71” N	76^{0}53’59.80”E
52			Jandroh	31^{0}28’55.06” N	76^{0}53’46.96”E
53		Jarol	Fagla Dhar	31^{0}28’37.72” N	76^{0}53’43.43”E
54			Bobar	31^{0}27’39.61” N	76^{0}53’43.49”E
55			Srauni Dhar	31^{0}27’10.46” N	76^{0}51’54.28”E
56			Nihari	31^{0}27’23.46” N	76^{0}52’41.01”E
57			Dolag	31^{0}27’34.13” N	76^{0}52’30.73”E
58			Sarouni	31^{0}26’57.92” N	76^{0}52’08.34”E
59			Tharu	31^{0}27’07.95” N	76^{0}51’47.21”E
60			Jarol	31^{0}27’43.02” N	76^{0}51’43.00”E
61			Ropari	31^{0}27’39.29” N	76^{0}51’49.26”E
62			Ghangal	31^{0}27’49.42” N	76^{0}51’53.62”E

Annexure- V

Detailed Area Statement of Eco-Sensitive Zone around Bandli Wildlife Sanctuary

Category of land	**Area of Eco-Sensitive Zone in ha**
Demarcated Protected Forest (DPF)	1018.5
Undemarcated Protected Forest (UPF)	40
Private Land	834.54
Other Govt. land	925.68
Total area of Eco-Sensitive Zone	**2818.72**

Annexure- VI

Proforma of action taken report.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA